—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 30/2023

उनवान

खेम सिंह उर्फ खींम सिंह पुत्र पन्ना सिंह जाति रावत निवासी ग्राम लच्छीपुरा, अजमेर।
——प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
2. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, शाखा राजगढ
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल
2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 19.2.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा के खसरा नम्बर 1185, 1788/1088 गै.मु. चाह, 1789/1088, 1781/999 प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 999 व 1000 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की भूमि है का उपयोग करता है। प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर में जाने के लिये उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवेदनकर्ता के पास अन्य कोई मार्ग राजस्व मांनचित्र में नही है। अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 999 व 1000 में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलववाया जानना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त रास्तें का इन्द्राज करवानें के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 999 व 1000 की आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है। आवेदन में जवाबकर्ता के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न होना अंकित नही है। प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश के 9 वर्ष बाद उक्त आवेदन पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में दो बार मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। ... राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम चाट सरदारपुरा के खसरा नम्बर 1185, 1788/1088 गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1789/1088, 1781/999 प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 999 रकबा 5.97 व 1000 रकबा 0.14 अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की भूमि है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 964 तक गुगल मैप अनुसार नरेगा रोड बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 999 व 1000 में से रास्ता चाहा है। उक्त रास्ते से आगे खापरी राजोसी सीमा से नसीराबाद आने का रास्ता है, जिससे जनहित में फायदा होगा। रास्ता नसीराबाद के रास्ते में मिल जायेगा। उक्त मार्ग से ग्राम चाट सरदारपुरा, चैनुपरा, खापरी, मालियों का बाड के ग्रामीणों को फायदा होगा। अप्रार्थी संख्या 1 का तर्क है कि खसरा नम्बर 999 व 1000 की आराजी प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही रिपार्ट अनुसार प्रस्तावित मार्ग के समीप प्रार्थी की खातेदारी से लगता हुआ मार्ग उपलब्ध बताया है। प्रार्थी उक्त मार्ग का उपयोग – उपभोग कर सकता है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार खातेदइार के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होने पर ही नवीन मार्ग दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अतः नवीन मार्ग दिया जाना न्यायोचित नही होने से प्रार्थी मार्ग प्राप्त करने का अधिकारा नही है।

उक्तानुसार ग्राम चाट सरदारपुरा की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested